न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–58 सन् 2019

विनोद कुमार श्रीवास्तव वो अन्य.....वादीगण।

बनाम

राहुल राय वो अन्य .....प्रतिवादीगण।

दिनांक– 12.10.2022

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 06 नियम 17 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दिनांक 07.02.2020 को दाखिल आवेदन पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी की ओर से आवेदन में कथन है कि अर्जीनालिश में कुछ जरूरी बातें गलती से मुन्दर्ज होना छुट गया है इसका मरम्मत होना आवश्यक है जिसके केस का नेचर नहीं बदलता है। अतः निवेदन है कि आवेदन में लिखित बातों को अर्जीनालिश में संशोधन करने का आदेश दिया जाए।

उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर प्रतिवादी की ओर से दिनांक 30.09.2020 को दाखिल कर कथन है कि प्रस्तुत वाद में वादी द्व ारा दाखिल किया गया उक्त आवेदन कानूनन पोषणीय नहीं है, बल्कि वादी साक्ष्य इकट्ठा करने के नियत से संशोधन आवेदन दाखिल कर रहे हैं। वादी ने अपने आवेदन के कंडिका 1 में सिडियुल नं0 01 में जो रकबा 6 कठा 9 धूर के नीचे निम्नलिखित बातें जोड़ दिया जाए कि मैय दर ख्तान चार पेड़ आम, 1 पेड़ खजुर, 1 पेड़ सेमर का दर्ज दरअसल दो पेड़ सेमर है लेकिन बैनामा में एक पेड़ सेमर का दर्ज हो गया है। मरम्मत करना चाहते हैं। जो नहीं हो सकता है, क्योंकि अर्जीनालिश में यह बातें मरम्मती होती है तो प्रतिवादी का अपूर्णिय क्षति होगी। वादीगण कंडिका 2 में जो बातें कही है वह बेबुनियाद है क्योंकि वादीगण फरीक 1 ता 4 उपरोक्त वाद में वर्णित भूमि में खरीदगी के समय से दाखिल काबिज है तथा प्रतिवादीगण ने उचित जरसम्मन देकर भूमि प्राप्त किया है। जिसे इनभैलिड कहना सरासर गलत है। वादी का कंडिका 3 में जो बातें कही गई है और मरम्मत करना चाहते हैं वह कानूनी तौर पर नहीं हो सकता है क्योंकि प्रतिवादी फरीक 5 बनाम प्रतिवादी 1 ता 4 23 लाख 17 हजार वो दादरसी इंतनाई 1 हजार पर

जुमला मो0 23,71,000/– हजार करार देकर 50,000/–रूपया न्याय शुल्क अदाय करने की बात कही है वह साजिशन मरम्मत करना चाहते है जिस मरम्मती से प्रतिवादीगण को बहुत क्षति होगी। वादीगण द्वारा मरम्मती आवेदन के कंडिका 4 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सिडियुल 01 अर्जीनालिश के चौथ पंक्ति के शुरू से वाद अंत तक सभी बातें के काटते हुए चारो बोसिकेजात बैनामा फरेबी इलिगल इनभैलिड, एभोयाड वो बेअसर वो बेकार कागज है इसकी कोई पाबंदी वादीगण पर नहीं है। यह पूर्णतः गलत वाद है, क्योंकि चारों वो सिकेजात बैनामा निबंधन कार्यालय से निबंधित है ऐसी स्थिति में वादीगण का यह बयान मरम्मत होने योग्य नहीं है तथा सभी मरम्मती से प्रतिवादीगण को काफी प्रभावित होंगे। मरम्मती आवेदन से स्पष्ट होता है कि वादीगण ने बिना जानकारी के यह वाद दायर किया है और साजिश रचकर अपने पक्ष में मुकदमा करने के फिराक में होकर मरम्मती करना चाहते हैं। अतः निवेदन है कि वादीगण द्वारा दाखिल मरम्मती आवेदन दिनांक 07.02.2020 को खर्चा सहित खारिज करने की कृपा की जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किया जा रहा है तथा प्रस्तावित संशोधन प्राकृतिक न्याय के दृष्टिकोण से आवश्यक प्रतीत होता है तथा प्रस्तावित संशोधन से वादी की प्रकृति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसी स्थिति में वादी की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन मो0 1000/–रूपये खर्च पर स्वीकृत किया जाता है। प्रतिवादी उक्त संशोधन के खंडन में यदि अतिरिक्त बयान तहरीर दाखिल करना चाहे तो कर सकते हैं।

वाद दिनांक .....वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु।

लेखापित

सब जज
सोनपुर सारण।